



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2025-कार्तिक 5, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

क्र. 3-3-4-0012-2024-Sec-2-पांच (CT) (22).-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के नियम 152 अनुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रदेश के उन पंजीयन उप जिलों के क्षेत्रों, जो महानिरीक्षक पंजीयन के सामान्य आदेश द्वारा विहित किए जाएं, को समाविष्ट करते हुए भोपाल जिले में पंजीयन कार्यालय सृजित करती है, जो साइबर पंजीयन कार्यालय कहलाएगा. उक्त कार्यालय में, उक्त नियम के नियम 2 (ढ) अनुसार पंजीयन अधिकारियों के लिए अधिनियम की धारा 14 (2) के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली स्थापना अनुसार, धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त पंजीयन अधिकारियों को यथास्थिति, जिलों या उप जिलों का प्रभार शासन के साधारण आदेश द्वारा दिया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

क्र. 3-3-4-0012-2024-Sec-2-पांच (CT).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-0012-2024-Sec-2-पांच (CT) (22), दिनांक 27 अक्टूबर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 27th October 2025

F.No. 3-3-4-0012-2024-Sec-2-V(CT)(22).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), the State Government, under Rule 152 of the Madhya Pradesh Registration Rules, 1939, hereby creates a Registration Office in Bhopal district, which will be called Cyber Registration Office, comprising the areas of such registration sub-districts of the State as may be specified by a general order of the Inspector General of Registration. As per the establishment to be approved under sub-section (2) of Section 14, the Registering Officers appointed under Section 6 in the said office may, as the case may be, be assigned the charge of districts or sub-districts by a general order of the Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.